<u>भारत संघ के लिए अधिवक्ताओं को पैनलबद्ध करने संबंधी</u>

<u>अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न</u>

प्रश्न.1 भारत संघ के लिए 'पैनल काउंसेल' क्या है?

विधि कार्य विभाग को भारत संघ की ओर से भारत में विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष मुकदमेबाजी के संचालन का कार्य सौंपा गया है। इस उद्देश्य के लिए, विधि कार्य विभाग देश में विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के लिए अधिवक्ताओं को सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पैनल में शामिल करता है। इसमें (न्यायालय-वार) कई श्रेणियां हैं जिनमें यह विभाग अधिवक्ताओं को पैनलबद्ध करता है और ऐसे पैनलबद्ध अधिवक्ताओं को सामूहिक रूप से भारत संघ के लिए 'पैनल काउंसेल' कहा जाता है। हालांकि, 'पैनल काउंसेल' एक सिविल पद नहीं है और इसलिए वे नियमित सरकारी सेवक नहीं हैं।

प्रश्न 2 भारत संघ के लिए पैनल काउंसेल के रूप में पैनलबद्ध होने के लिए आवेदन में कौन-कौन से दस्तावेज / विवरण अनिवार्य हैं?

(क) पैनल में शामिल होने के लिए न्यायालय/अधिकरण का नाम

(ख) उस न्यायालय / अधिकरण में उपलब्ध पैनल काउंसेल की वांछित श्रेणी

(ग) इच्छुक अधिवक्ता की ओर से यह प्रमाणन कि वह वांछित न्यायालय/अधिकरण में वांछित श्रेणी के 'पैनल काउंसेल' के लिए लागू सभी निबंधनों एवं शर्तों (शुल्क सहित) से आबद्ध होगा।

(घ) आवेदन के साथ विस्तृत एवं विधिवत् हस्ताक्षरित बायोडेटा संलग्न किया जा सकता है, जिसमें आवश्यक विवरण जैसे नाम, डाक पता, संपर्क संख्या, ईमेल, विधि संबंधी अर्हताएं, संबंधित बार काउंसिल के साथ पूर्ण नामांकन संख्या शामिल हो।

प्रश्न 3 विधि कार्य विभाग के पास भारत संघ के लिए पैनल काउंसेल की कौन सी श्रेणियां उपलब्ध हैं?

क्र. सं.	न्यायालय/अधिकरण का नाम	पैनल काउंसेल की उपलब्ध श्रेणियां
1.	भारत का उच्चतम न्यायालय	(i) समूह 'क' पैनल काउंसेल (ii) समूह 'ख' पैनल काउंसेल (iii) समूह 'ग' पैनल काउंसेल
2.	दिल्ली उच्च न्यायालय	(i) केंद्र सरकार के स्थायी काउंसेल (ii) वरिष्ठ पैनल काउंसेल (iii) सरकारी वकील(प्लीडर)
3.	मुंबई में बॉम्बे उच्च न्यायालय (पीबी), और कोलकाता में कलकत्ता उच्च न्यायालय (पीबी) के साथ-साथ कैट मुंबई और कोलकाता पीठ	(i) विशेष काउंसेल (ii) वरिष्ठ काउंसेल समूह - I (iii) वरिष्ठ काउंसेल समूह - II (iv) कनिष्ठ काउंसेल
4.	अन्य सभी उच्च न्यायालय और उनकी पीठें, साथ ही नागपुर, औरंगाबाद और गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय की पीठें और जलपाईगुड़ी, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की पीठें	(i) वरिष्ठ पैनल काउंसेल (ii) केंद्र सरकार काउंसेल
5.	देश भर में सभी कैट बेंच (मुंबई और कोलकाता में कैट बेंच को छोड़कर)	(i) वरिष्ठ केंद्रीय सरकार स्थायी काउंसेल (ii) वरिष्ठ पैनल काउंसेल (iii) केंद्रीय सरकार का अपर स्थायी काउंसेल
6.	देश भर में सभी एएफटी बेंच	(i) केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ स्थायी काउंसेल (ii) वरिष्ठ पैनल काउंसेल (iii) केंद्र सरकार काउंसेल
7.	दिल्ली में जिला न्यायालय	(i) वरिष्ठ पैनल काउंसेल (ii) केंद्र सरकार का अपर काउंसेल

8.	देश भर के सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय (दिल्ली को छोड़कर)	(i) स्थायी सरकारी काउंसेल (ii) अपर स्थायी सरकारी काउंसेल

प्रश्न 4. 'पैनल काउंसेल' को क्या पारिश्रमिक दिया जाता है?

चूंकि भारत संघ के लिए 'पैनल काउंसेल' सरकारी सेवक नहीं हैं, इसलिए उन्हें वेतन और भत्ते नहीं दिए जाते हैं। उन्हें उनकी पैनल श्रेणी पर लागू शुल्क अनुसूची के अनुसार उनकी सेवाओं के बदले मामले दर मामले के आधार पर व्यावसायिक शुल्क का भुगतान किया जाता है। हालांकि, 'पैनल काउंसेल' की कुछ श्रेणियां हैं, जिन्हें पात्र श्रेणी में उनके कार्यकाल के दौरान मासिक आधार पर प्रतिधारण शुल्क (रिटेनरशिप फीस) का भुगतान किया जाता है। इस संबंध में शुल्क अनुसूची इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 26(1)/2014-न्यायिक दिनांक 01.10.2015 जिसे 'पैनल काउंसेल' पर लागू विस्तृत निबंधनों व शर्तों वाले अन्य कार्यालय ज्ञापनों के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार है।

प्रश्न 5. 'पैनल काउंसेल' को मामले आवंटित करने की प्रक्रिया क्या है?

भारत के उच्चतम न्यायालय को छोड़कर, अन्य सभी न्यायालयों/अधिकरणों में पैनल काउंसेल को मामलों का आवंटन संबंधित न्यायालय के मुकदमा प्रभारी द्वारा किया जाता है।
विधि कार्य विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं जे-12017/1/2019-न्यायिक दिनांक 21.10.2019 द्वारा मुकदमेबाजी प्रभारियों का निर्णय लिया गया है। जबकि उच्चतम न्यायालय में, भारत के लिए विद्वान महान्यायवादी स्वयं अपनी उपस्थिति के लिए मामलों का चयन करते हैं, जबकि भारत के महासॉलिसिटर द्वारा अन्य मामलों को भारत के अपर महासॉलिसिटर और पैनल काउंसेल को कार्यालय ज्ञापन सं. जे-12017/1/2022-न्यायिक दिनांक 13.09.2022 के अनुसार आवंटित किया जाता है।

प्रश्न 6. क्या पैनल काउंसेल की कोई स्वीकृत संख्या है (न्यायालय-वार)?

जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत संघ के लिए 'पैनल काउंसेल' एक सिविल पद नहीं है, इसलिए स्वीकृत संख्या की अवधारणा 'पैनल काउंसेल' के मामले

में लागू नहीं होती है। विधि कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार किसी विशेष न्यायालय/अधिकरण के लिए अधिवक्ताओं को पैनलबद्ध किया जाता है।

प्रश्न 7. क्या भारत संघ के पैनल काउंसेल को निजी प्रैक्टिस की अनुमति है?

विधि कार्य विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या जे-16/11/2017-न्यायिक दिनांक 08.02.2018 के अनुसार भारत संघ के पैनल काउंसेल अपनी निजी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं, लेकिन यह इस सीमा तक प्रतिबंध के साथ है कि वे किसी भी तरह से भारत संघ के खिलाफ मामलों में पेश नहीं हो सकते व न ही इन पर सलाह दे सकते हैं।

प्रश्न 8. भारत संघ के पैनल काउंसेल के लिए लागू निबंधन एवं शर्तें क्या हैं?

विधि कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों द्वारा पैनल काउंसेल की विभिन्न श्रेणियों (न्यायालय-वार) पर लागू विस्तृत निबंधन एवं शर्तें शासित होती हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	का. ज्ञा. सं. और दिनांक	पैनल के लिए लागू
1.	21(4)/99-न्यायिक दिनांक 24.09.1999	भारत का उच्चतम न्यायालय
2.	24(2)/99- न्यायिक दिनांक 24.09.1999	दिल्ली उच्च न्यायालय, कैट (पीबी), एएफटी (पीबी)
3.	23(1)/1987- न्यायिक दिनांक 24.04.1987	मुंबई में बॉम्बे उच्च न्यायालय (पीबी), कैट मुंबई बेंच
4.	23(1)/87- न्यायिक दिनांक 05.06.1987	कोलकाता में कलकत्ता उच्च न्यायालय (पीबी), कैट कोलकाता पीठ
5.	26(2)/99- न्यायिक दिनांक 24.09.1999	बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय (पीबी), कैट बेंगलुरु बेंच
6.	25(3)/99- न्यायिक दिनांक 24.09.1999	चेन्नै में मद्रास उच्च न्यायालय (पीबी), कैट चेन्नै बेंच
7.	26(1)/99- न्यायिक दिनांक 24.09.1999	देश के बाकी उच्च न्यायालय जिनमें बॉम्बे उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय की पीठें, कैट पीठें (कैट

		मुंबई और कैट कोलकाता को छोड़कर) और देश में एएफटी पीठें शामिल हैं।
8.	27(11)/99- न्यायिक दिनांक 24.09.1999	देश भर के सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय ।

उपरोक्त सभी कार्यालय ज्ञापन इस विभाग की वेबसाइट www.legalaffairs.gov.in पर 'न्यायिक अनुभाग (ज्यूडिशीयल सेक्शन)' टैब के अंतर्गत 'मुकदमेबाजी से संबंधित परिपत्र' लिंक पर उपलब्ध हैं।

प्रश्न 9. पैनल काउंसेल के विरुद्‌ध कदाचार के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है?

किसी भी पैनल काउंसेल के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर, उचित जांच की जाती है और यदि पैनल काउंसेल द्‌वारा गलत आचरण या निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन साबित होता है, तो माननीय विधि और न्याय मंत्री उसे पैनल से हटा सकते हैं।

****